9/5/12 Dainik Bhaskar

जिंदल समूह के निदेशक गुप्ता सहित तीन की जमानत

हाईकोर्ट ने भीलवाड़ा में हुए कथित सांप्रदायिक तनाव के आरोपियों की जमानत मंजूर की

भास्कर न्यूज. भीलवाड़ा/जोधपुर

राजस्थान हाईकोर्ट ने अप्रैल में भीलवाड़ा में हुए कथित सांप्रदायिक तनाव के आरोपियों जिंदल समूह के निदेशक डॉ. धर्मेंद्र गुप्ता सहित मोहम्मद कासिम अंसारी व रमजान मोहम्मद को जमानत पर रिहा करने के आवेदन स्वीकार कर लिए। यह आदेश न्यायाधीश निशा गुप्ता ने आरोपियों की ओर से दायर जमानत आवेदन की सुनवाई के तहत दिए।

अदालत में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नरपत मल लोढ़ा ने अधिवक्ता रमित मेहता व बी डी दाधीच के माध्यम से कहा कि भीलवाड़ा स्थित प्रतापनगर पुलिस थाना में 9 अप्रैल को निजाम खां ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि जिंदल शॉ के अधिकारियों ने तिरंगा पहाड़ी पर स्थित मस्जिद को कब्जा करने की नीयत से तोड़ दिया है, जिससे एक समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। इस मामले में आरोपियों को 20 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया और निचली अदालत ने उनको जमानत नहीं दी। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा की अंजुमन कमेटी व जामा मस्जिद भीलवाड़ा के पदाधिकारियों व इमाम ने तिरंगा पहाड़ी पर भौतिक सत्यापन करने के बाद पाया कि वहां मस्जिद नहीं होकर मजारात है और इसको शिफ्ट करने पर समुदाय को कोई आपत्ति नहीं है। इमाम व अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में जिंदल शॉ ने क्षेत्र के विकास एवं शिक्षा के लिए 65 लाख रुपए की सहायता देना स्वीकार किया था।

इसी के तहत मजारात को वहां से शिफ्ट करने के उद्देश्य से हटाया गया था, लेकिन एक समुदाय ने कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया।

FOCUS®
English Training Academy
Fresh Batches Starts For
KIDS
Arya Samaj Road, Mahaveer Mohalla,
Near Veer Sawarkar Chowk, Bhilwara.
Ph. 01482-236503, 92515-95531

Nase™
Technology
An ISO 9001-2008 Certified Institute
(A Unit of Nase Technologies Pvt. Ltd.)
कम्प्यूटर नेटवर्किंग कॉर्पोरेट सिक्यूरिटी
& Ethical Hacking
CCNA MCITP RHCE
MCSE CCNP CEH
Leader Tower, 1st Floor,
Nagori Garden, BHILWARA.
M.: 7597455139